

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 388] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 30, 1981/अग्राहायण 9, 1903
No. 388] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 30, 1981/AGRAHAYANA 9, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1981

सा० का० नि० 624 (अ):-- केन्द्रीय सरकार ने, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के खण्ड (अ) के उपखंड (ii) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एग्रिकेनफॉस (मो-इथाइल-एस-हाइड्रॉक्सीफेनिल डाइहायोफॉस्फेट) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त कीटनाशी कहा गया है) को उक्त अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि उक्त कीटनाशी के प्रयोग से आरम्भ प्रवेश के निजामाबाद जिले के बहुत से व्यक्तियों में विषमता के लक्षण उत्पन्न हो गए थे ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त कीटनाशी के प्रयोग से मानव जीवन को खतरा हो सकता है ;

और केन्द्रीय सरकार मामले की जांच करवाना तथा उत्पाद विवरणों, संबंध रासायनों और अपद्रव्य के लिए उक्त कीटनाशी के नमूने का विश्लेषण करना आवश्यक समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 27 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एडिफेनफोस (ओ-इथाइल-एस, डाईफेनिल-डाईथायो-फास्फेट) (हिंसासन और एच० फास, के ब्रांड के अधीन या किसी अन्य ब्रांड के अधीन विक्रय किए जा रहे) का विक्रय, वितरण या प्रयोग संपूर्ण भारत में साठ दिन की अवधि के लिए प्रति-बिद्ध करती है।

[सं० 17-55/81--पी० पी० एस०]

भार० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1981

G.S.R. 624(E).—Whereas the Central Government had in exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (c) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) has included Ediphenphos (O-ethyl-s, s-diphenyl-dithiophosphate) (hereinafter referred to as the said insecticide) in the Schedule to the said Act ;

And whereas it was brought to the notice of the Central Government that a very large number of persons had developed symptoms of poisoning by the use of the said insecticides in the district of Nizambad in the Andhra Pradesh;

And whereas the Central Government is of the opinion that the use of the said insecticides is likely to involve risk to human beings ;

And whereas the Central Government considers it necessary to carry out investigations in the matter and to have the sample of the said insecticide analysed for product specifications, associated chemicals and impurities ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 27 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government hereby prohibits the sale, distribution or use of Ediphenphos (o-ethyl-s, s-diphenyl-dithiophosphate) (sold under the brand name of Hinosan and H. Phos, or under any other brand name) throughout the territory of India, for a period of sixty days.

[No. 47-55/81-PPS]

R. C. GUPTA, Jt. Secy.